न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

सत्रवाद संख्या– 363/2021
सुपौल थाना कांड संख्या– 72/2018

::आदेश::

दिनांकः– 20.05.2026

1. प्रस्तुत वाद के एकमात्र अभियुक्त आवेदक गुडडू बाजपेयी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 436, 427 के अंतर्गत आरोप का विचारण किया गया है।

2. प्रस्तुत वाद सूचक रब्बी कामत के फर्द बयान के आधार पर अंकित धारा 436, 427 भा0द0वि0 के अंतर्गत सुपौल थाना कांड सं0– 72/2018 दिनांक 13/02/2018 के अंतर्गत अभियुक्त आवेदक गुडडू बाजपेयी के विरूद्व दर्ज किया गया था। ततपश्चात् कांड के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त आवेदक के विरूद्व धारा–436, 427 भा0द0वि0 आरोप पत्र समर्पित किया था।

3. यघपि विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्राथमिकी नामजद अभियुक्त के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा 436, 427 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुये वाद को दौरा सूपूर्दगी किया गया तथा दौरा सूपूर्दगी पश्चात इस न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्व धारा 436, 427 के अंतर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया तथा अभियुक्त ने आरोप को समझने के उपरांत अपने उपर लगाये गए आरोपों से इंकार किया एवं वाद में विचारण का दावा किया।

4. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में अब तक किसी भी साक्षियों को प्रस्तुत नहीं कराया गया है। जबकि न्यायालय द्वारा साक्षियों को साक्ष्य देने हेतु दिनांक 19/11/20222 को सम्मन एवं दिनांक 27.07.2024 को उनके विरूद्व गैर जमानतीय अधिपत्र भी निर्गत किया जा चुका है तथा वाद को अभियोजन के द्वारा अवलोकन भी किया गया है। परन्तु प्रस्तुत वाद के साक्षी साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। कांड के सूचक की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसके संबंध में सूचक का मृत्यु प्रमाण पत्र अभिलेख पर संलग्न है। चूँकि वाद काफी पुराना है अर्थात 08 वर्षो से लंबित है।

5. अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त आवेदक गुडडू बाजपेयी को भा0द0वि0 की धारा– 436, 427 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर धारा 255 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत रिहा किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को बंधपत्र के समस्त उत्तरदायित्वों, यदि कोई हो, से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल